नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968

सा0 का0 नि0 1278 –– केन्द्रीय सरकार, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम** – इन विनियमों का नाम नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968 है।

2. **परिभाषाएं**–– (क) '' नियंत्रक'' से नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन नागरिक सुरक्षा कोर का समादेशन करने के लिए नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ख) ''सक्षम प्राधिकारी'' से राज्य सरकार या इन विनियमों के किसी उपबन्ध के अधीन सक्षम प्राधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए राज्य सरकार द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति अभिप्रेत है।

(ग) ''प्ररूप'' से इन विनियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है।

(घ) ''कोर'' से नगरी या जिला या किसी क्षेत्र की नागरिक सुरक्षा कोर अभिप्रेत है।

3. पात्रता–– (1) उस व्यक्ति को, जो किसी नागरिक सुरक्षा कोर में नियुक्ति के लिए आवेदन करने का आशय रखता है, निम्नलिखित शर्ते पूरी करनी चाहिए :–

(क) वह भारत का नागरिक या सिक्किम या भूटान या नेपाल का प्रजाजन हो ;

(ख) उसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; परन्तु यह आयु–सीमा सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर कोर की किसी शाखा या प्रवर्ग के लिए अधिकतम 3 वर्ष तक शिथिल की जा सकेगी ;

(ग) वह कम से कम प्राथमिक स्तर, अर्थात चौथी कक्षा पास हो ; और यह शर्त नियंत्रक द्वारा अपने विवेक पर शिथिल की जा सकेगी।

(2) पुरूष और स्त्री दोनों ही कोर में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

(3) कोई व्यक्ति कोर में नियुक्ति के लिए हकदार नहीं होगा जब तक कि वह शारीरिक रूप से योग्य और मस्तिष्क से सजग न हो।

(4) राष्ट्रीय स्वयं सेवक बल और संघ के सशस्त्र–बलों में की कोई सेवा विशेष अर्हता होगी।

4. आवेदन की रीति– (1) विनियम 3 के अधीन नियुक्ति के लिए पात्र हर व्यक्ति से प्ररूप 'क' में आवेदन करने की तथा साक्षात्कार के लिए सक्षम प्राधिकारी के समक्ष स्वयं को उपस्थापित करने की भी अपेक्षा की जाएगी।

(2) हर अभ्यर्थी से अपेक्षा की जाएगी कि अपने नियोजक का एक प्रमाणपत्र पेश करे जिसमें आवश्यकता पड़ने पर उसकी सेवाएं प्रशिक्षण और कर्तव्य के लिए छोड़ने की सहमति होगी।

(3) नियंत्रक अभ्यर्थियों के चयन में उसे सलाह देने के लिए एक चयन समिति गठित कर सकेगा जो सदस्यों की ऐसी संख्या और ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनेगी जैसी नियंत्रक अवधारित करे और नियुक्त करे।

(4) सभी अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित प्रशिक्षण प्राप्त करें तथा परीक्षाएं पास करें।

5. अभयावेशन––(1) कोई अभ्यर्थी जो कोर में नियुक्ति के लिए प्रतिगृहीत किया गया है, ऐसी रीति से जैसी नियंत्रक आदेश द्वारा अवधारित करे, प्ररूपिकतः अभ्याविष्ट किया जाएगा और अभ्यावेशन के समय ऐसे अधिकारी के समक्ष, जिसे नियंत्रक आदेश द्वारा नियुक्त करे, प्ररूप 'ख' के अनुसार शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

(2) निम्नलिखित बलों या सेवाओं के सदस्य नागरिक सुरक्षा कोरों में अभ्यावेशन के लिए मामूली तौर पर पात्र नहीं है :–

(i) संघ के सशस्त्र बल ;

(ii) पुलिस बल ;

(iii) अग्नि सेवाएं ;

(iv) रक्षा सेवाओं में से किसी भी प्रादेशिक सेना या सहायक बल ;

(v) संघ के सशस्त्र बलों के सम्बन्ध में नियोजित सिविलियन कार्मिक।

(3) यह विनियम ऐसे सरकारी सेवकों को लागू नहीं होगा जो सम्बन्धित संगठनों या सेवाओं के प्रधानों द्वारा पूर्णकालिक या अंशकालिक नागरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए विनिर्दिष्ट प्रतिनियुक्त किए गए हैं।

[1][**5क. अवधि**–– अभ्यर्थी को प्रारम्भिकतः विनियम 5 के अधीन तीन वर्ष की अवधि के लिए अभ्यावेशित किया जाएगा जोकि प्रत्येक बार तीन वर्ष की और अवधि के लिए एक बार से अधिक विस्तारित की जा सकती है।]

6. संगठन––(1) नियंत्रक कोरों को, व्यक्तियों की ऐसी संख्या से मिल कर बनने वाले भागों की ऐसी संख्या में विभाजित कर सकेगा, जिन्हें और जिसे वह आवश्यक और समुचित समझे तथा ऐसे हर भाग का समादेशन करने लिए किसी व्यक्ति को (जिसे इसमें इसके पश्चात् भारसाधक अधिकारी कहा गया है) नियुक्त कर सकेगा।

(2) भारसाधक अधिकारी के कर्तव्य ऐसे होंगे जैसे कि नियंत्रक समय–समय पर आदेश द्वारा विहित करे।

(3) नियंत्रक किसी भारसाधक अधिकारी की सहायता करने के लिए उपपदीय की नियुक्ति कर सकेगा।

(4) नियंत्रक, ऐसे साधारण या विशेष आदेशों के रहते हुए जो समय–समय पर इस निमित सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए जाएं, सेवा में भर्ती के लिए अपेक्षित सभी अन्य कर्मचारिवृन्द की नियुक्ति करेगा और नियुक्ति की ऐसी शक्तियां किसी भारसाधक अधिकारी को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

[2][**7. सदस्यता प्रमाणपत्र**––(1) कोर के सदस्य के रूप में नियुक्त हर व्यक्ति को प्ररूप ग में एक सदस्यता प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) उपविनियम (1) के अधीन उसे जारी किए गए प्रमाणपत्र को खो देने वाला व्यक्ति इसके खो जाने की रिपोर्ट तत्काल अपने से ठीक वरिष्ठ अधिकारी को करेगा, जो आवश्यक जांच करेगा, और अपना समाधान कर लेने के पश्चात्, उस प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने की व्यवस्था करेगा।

(3) प्रमाणपत्र की पूर्वोक्त दूसरी प्रति की लागत, जैसी कि जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाए, उस व्यक्ति द्वारा वहन की जाएगी जिसे उपविनियम (1) के अधीन सदस्यता का प्रमाणपत्र जारी किया गया था।]

8. सेवा की शर्तें––(1) कोर के सदस्य मामूली तौर पर स्वेच्छया और अवैतनिक हैसियत में सेवा करेंगे :

परन्तु राज्य सरकार, आदेश द्वारा, कोर के किसी सदस्य की जब वह कर्तव्य पर आहूत किया जाए, कर्तव्य भत्ते का (ऐसे वेतनमान पर, जो केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय–समय पर उसके द्वारा विहित किए जाएं) संदाय प्राधिकृत कर सकेगी।

(2) खण्ड (1) में अन्तिर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, केन्द्रीय सरकार किसी नियुक्ति या नियुक्तियों के वर्ग को सवेतन नियुक्तियां घोषित कर सकेगी। संदाय के आधार पर नियुक्त किया गया कोई व्यक्ति वेतन, छुट्टी और अन्य प्रसुविधाओं के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तो का हकदार होगा, जैसा कि राज्य सरकार, आदेश द्वारा विहित करे।

1. **1973 के सा0का0नि0 302 के विनियम 2 द्वारा अंतः स्थापित।**
2. **1971 के सा0का0नि0 520 के विनियम 2 द्वारा (7–4–1971 से) प्रतिस्थापित।**

9. कर्तव्य– कोर के सदस्य निम्नलिखित के लिए कर्तव्य पर बुलाए जा सकेंगे :–

(i) प्रशिक्षण के लिए ;

(ii) अभ्यास या व्यायाम के लिए ;

(iii) ऐसे कर्तव्यों के पालन के लिए जो उन्हें इन विनियमों के अधीन या तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन वैरपूर्ण आक्रमण के विरूद्ध व्यक्तियों और सम्पति की संरक्षा के लिए आदेश द्वारा समनुदिष्ट किए जाएं।

10. अनुशासन–– (i) कोर का कोई सदस्य, जबकि वह प्रशिक्षण ले रहा हो या कर्तव्य पर हो, स्वयं को किसी प्रपाठ, अभ्यास या व्यायाम या किसी अन्य प्रशिक्षणचर्या से भारसाधक अधिकारी या अन्य वरिष्ठ अधिकारी की विनिर्दिष्ट अनुज्ञा के बिना अनुपस्थित न करेगा।

(2) कोर का प्रत्येक सदस्य निम्नलिखित विनियमों का अनुपालन करेगा :–

(i) वह नियंत्रक को भारसाधक अधिकारी के माध्यम से अपने स्थायी पते या नियोजन के स्थान में हुए किसी परिवर्तन से अधिसूचित करेगा।

(ii) वह नागरिक सुरक्षा कोर के अधीन अपने कर्तव्यों से संबंधित किसी मामले के बारे में प्रेस या अन्य राजनैतिक संगठन या निकाय के साथ नियंत्रक की अनुज्ञा के बिना सम्पर्क नहीं करेगा।

(iii) वह कोर के सदस्य के रूप में अपने नियोजन के दौरान अपने संज्ञान या ज्ञान में आई सभी रिपोर्टों (या उनकी प्रतिलिपियों) को सर्वथा गोपनीय रखेगा।

11. वर्दी आर साज–सज्जा–– (1) कोर का सदस्य, जब वह कर्तव्य पर हो, ऐसी वर्दी और रैंक के बिल्ले या तमगे धारण करेगा और ऐसी सज्जा वहन करेगा जैसी नियंत्रक द्वारा विहित की जाए। ऐसी वर्दी या तमगों और सज्जा के खर्च का वहन राज्य सरकार करेगी। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक सदस्य को, जिसे वर्दी दी जाती है, ऐसी दर पर धुलाई–भत्ता अनुदत्त किया जाएगा जैसी कि राज्य सरकार द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समय–समय पर विहित की जाए।

(2) अपनी सेवाओं के पर्यवसान पर वह अपना सदस्यता–प्रमाणपत्र और उसे प्रदत्त वर्दी तथा सज्जा भारसाधक अधिकारी को तुरन्त लौटा देगा और लौटाई गई वस्तुओं के लिए रसीद अभिप्राप्त करेगा। यदि कोई सदस्य उसे दी गई कोई वस्तु लौटाने में असफल रहता है, तो नियंत्रक द्वारा उसकी लागत निर्धारित की जाएगी और उससे वसूल की जाएगी।

12. प्रतिकर– यदि कोर के किसी सदस्य के शरीर या सम्पति को, जब वह कर्तव्य पर हो, कोई क्षति पहुंचे तो उसे ऐसा प्रतिकर संदत्त किया जाएगा जैसा कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवधारित किया जाए : परन्तु यह तब जबकि ऐसी क्षति नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 (1968 का 27) या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों में से किसी के या उसके वरिष्ठ अधिकारी द्वारा जारी किए गए आदेशों या निदेशों के उल्लंघन में स्वयं उसकी उपेक्षा या जानबूझकर किए गए कार्य या लोप द्वारा कारित न हुआ हो।

13. सेवा अभिलेख–– कोर के प्रत्येक सदस्य की बाबत सेवा अभिलेख प्ररूप 'घ' में रखा जाएगा।

14. पदत्याग–– कोर का कोई सदस्य जो कोर छोड़ना चाहता है, कम से कम दो सप्ताह की सूचना देकर अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को लिखित त्यागपत्र देगा।

15. हानि की वसूली–– यदि कोर का कोई सदस्य नियंत्रक द्वारा निर्धारित वर्दी की लागत संदत्त करने में या दुरूपयोग या उपेक्षा द्वारा सरकार को कारित किसी धनसंबंधी हानि को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो वर्दी की लागत या हानि की रकम उससे वसूलीय होगी।

16. विनियमों आदि के उल्लंघन को निवारित करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी की शक्तियां–– सक्षम प्राधिकारी ऐसे कदम उठाएगा या उठवाएगा और ऐसे बल का प्रयोग करेगा या करवाएगा, जो ऐसे प्राधिकारी की राय में, इन विनियमों या तद्धीन जारी किए गए किसी आदेश के उल्लंघन को निवारित करने या उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए युक्तियुक्त रूप में आवश्यक हो।

परिशिष्ट

प्ररूप क

[विनियम 4(1) देखिए]

नागरिक सुरक्षा सेवा के सदस्य के रूप में अभ्यावेदन के लिए आवेदन

1. पूरा नाम (मोटे अक्षरों में)
2. पिता/पति का नाम
3. जन्म की तारीख
4. राष्ट्रिकता
5. स्थायी पता
6. आजीविका और वर्तमान पता
7. वर्तमान नियोजक का नाम और पता
8. शैक्षिक अर्हताएं
9. किन भाषाओं का ज्ञान (पढ़ना/ लिखना/ बोलना) है।
10. क्या आप निम्नलिखित के सदस्य हैं :

(i) रक्षा बलों (थल/ नौसेना/ वायुसेना) या उनके रिजर्वो में से कोई;

(ii) रक्षा सेवाओं की प्रादेशिक सेना या कोई अन्य सहायक बल ;

(iii) संघ के सशस्त्र बलों का आकस्मिक कर्मचारियों से भिन्न सिविलियन काडर, जो नौ, थल या वायु बल विधि के अधीन है ;

(iv) पुलिस सेवा ;

(v) अग्नि सेवा।

11. क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं ? यदि हां, तो विशिष्टियां दीजिए।
12. क्या आप राष्ट्रीय स्वयंसेवी बल के हैं ? यदि हां, तो विशिष्टियां दीजिए।
13. क्या आप को नागरिक सुरक्षा कोर में कोई पूर्व अनुभव है ? यदि हां, तो तारीख सहित विशिष्टियां दीजिए।
14. क्या आप नागरिक सुरक्षा कोर के किसी विशिष्ट भाग के लिए कोई अधिमानता देते हैं ? यदि हां, तो भाग का कथन कीजिए।
15. क्या आपके द्वारा चुने गए भाग में अभ्यावेशन के लिए आपके पास कोई विशेष अर्हतायें हैं ? यदि हां, तो ब्यौरा दीजिए।
16. चलते–फिरते कालमों या रोगीवाहक ट्रेनों में सेवा के लिए अधिमानता की दशा में, यदि आपात् की स्थिति आए तो क्या आप भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए तैयार हैं ?
17. कितने घंटों के लिए और सप्ताह के किन दिनों पर आप नागरिक सुरक्षा कर्तव्य के लिए उपलभ्य होंगे (केवल अंशकालिक स्वयंसेवियों के लिए)।
18. क्या आपके पास कोई सवारी (बाईसिकिल, मोटर कार, मोटर साईकिल इत्यादि) है ?
19. क्या आप किसी संचारी रोग से पीड़ित हैं ? यदि हां, तो विशिष्टियां दीजिए।
20. क्या आपको चेचक हुई थी ? यदि हां, तो कब।

21. क्या आपको टीका लगा है ? यदि हां, तो कब।

22. क्या आपको हैजा/ टायफायड/ क्षयरोग आदि के लिए टीका लगा है ? यदि हां, तो कब।

23. क्या आप प्राथमिक उपचार/ मोटर चालन जानते हैं ?

24. आवेदक के हस्ताक्षर।

घोषणा

1. मैंने '' नागरिक सुरक्षा विनियम, 1968'' पढ़ लिया है।
2. जहां तक मैं जानता हूँ, मैं कोर के सदस्य के रूप में दक्ष सेवा करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य हूँ।
3. यदि मेरा आवेदन प्रतिगृहीत कर लिया जाता है तो मैं कोर के पूर्णकालिक / अंशकालिक सदस्य के रूप में सेवा करने के लिए, अर्थात् समुचित प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए और मेरे कोर का सदस्य रहने के दौरान आपात् घटित होने की दशा में, उसके सदस्य के रूप में अपनी बाध्यताओं का पालन करने के लिए तैयार हूं।
4. मैं..

(i) संबद्ध प्राधिकारियों द्वारा दिए गए अनुदेशों और आदेशों के अनुसरण में नागरिक सुरक्षा कोर में अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए वचनबद्ध होता हूं।

(ii) कोर का सदस्य न रहने पर वर्दी, बिल्लों या व्यक्तिगत सज्जा की हर एक वस्तु को, जो मुझे दी गई हो, लौटाने को वचनबद्ध होता हूं ; और

(iii) कोर के विनियमों का पालन करने को वचनबद्ध होता हूं।

स्थान :
तारीख :

आवेदक के हस्ताक्षर

यह प्ररूप सम्यक् रूप से भरकर निम्नलिखित को दिया जाना चाहिए :
अभ्यावेशन प्राधिकारी का नाम और पता...
....

कार्यालय के प्रयोग के लिए

कोर के प्रधान/ सम्बध स्टाफ अधिकारी की सिफारिशे
(कोर, आदि से ग्रहण किया गया और ....)
(पोस्ट सं0 आदि) की आवंटित किया गया

हस्ताक्षर..	हस्ताक्षर...
पदनाम...	पदनाम..
तारीख...	तारीख..

प्ररूप ख

शपथ प्ररूप

(विनियम 5 देखिए)

मैं ....जो .... का/ की पुत्र/ पुत्री/ पत्नी हूं शपथ लेता/लेती हूं/ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता/ करती हूं कि मैं भारत के प्रति और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सत्यनिष्ठा रखूंगा/ रखूंगी और अपने को सौंपे गए कर्तव्यों का भक्तिपूर्वक निर्वहन करूंगा/करूंगी।

(इसमें ईश्वर मेरी सहायता[1] करें)

---

[2][प्ररूप ग

सं0........................

(विनियम 7 देखिए)

सदस्यता प्रमाणपत्र

.... (राज्य का नाम) की सरकार

सिविल रक्षा कोर

1. पूरा नाम...
2. राष्ट्रिक्ता...
3. जन्म की तारीख...
4. पिता/पति का नाम...
5. पहचान चिन्ह...
6. स्थायी पता...
7. सिविल रक्षा कोर का नाम जिसमें नियोजित हैं...
8. सुपुर्द काम...
9. निकटतम कुल्य का नाम और पता...
10. व्यक्ति का हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान...

जारी करने की तारीख.......................... जारी करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर

जारी करने वाले अधिकारी के कार्यालय की मुद्रा और पदाभिधान]

1. (आवश्यकतानुसार काट दिया जाए)
2. 1971 के सा0का0नि0 520 के विनियम 2 द्वारा (07.04.1971 से) प्रतिस्थापित।

प्ररूप घ

सं0..

का सरकारी नागरिक सुरक्षा अभिलेख

(विनियम 13 देखिए)

1. नाम...
2. पिता/पति का नाम...
3. राष्ट्रिकता...
4. जन्म की तारीख/ आयु...
5. पहचान चिन्ह..

नागरिक सुरक्षा नियंत्रक के या उसकी
ओर से किसी अधिकारी के हस्ताक्षर

नागरिक सुरक्षा कोर प्रशिक्षण आदि की विशिष्टियां

सेवा का नाम	समनुदेशन	पहचान पत्र सं0	से	को	वेतनमान	वेतन	भत्ते	योग	समनुदेशन के पर्यवसान केलिए कारण, उदाहरणतया अन्तरण आदि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

कृ0दे0–– (क) सभी नागरिक सुरक्षा कर्मिकों के संबंध मं अभिलेख निदर्श में रखा जाना चाहिए ;

(ख) स्तम्भ (1) से (18) तक की विशिष्टियां, जब भी वे घटित हों, भरी जानी और अनुप्रमाणित की जानी चाहिए।

(ग) यह अभिलेख ऐसे उत्तरदायी अधिकारी की अभिरक्षा में रखा जाना चाहिए, जो कोर के प्रधान से निम्न रैंक का न हो।

(राज्य का नाम) की कोर

सेवा

6. स्थायी पता
7. सरकार आदि के अधीन धृत पद की विशिष्टियां
8. नियोजक का नाम और पता
9. निकटतम रक्त–संबंधी का नाम और पता
10. हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान

ली गई छुट्टी			व्यक्तिगत सज्जा, वर्दी और साज–सज्जा		ना0सु0कोर कर्मकारों के हस्ताक्षर	ना0सु0 कोर के प्रधान के हस्ताक्षर	टिप्पणियां
छुट्टी का प्रकार	अवधि						
	से	तक	दी गई वस्तुएं और दिए जाने की तारीख	लौटाई गई वस्तुएं और वापस करने की तारीख			
11	12	13	14	15	16	17	18

मदें 1 से 10 तक अभ्यावेदन के समय भरी जानी चाहिए।